epaper
हिन्दुस्तान

मंत्री आरके सिंह ने कहा, नीति से कार्बन-मुक्त हरित हाइड्रोजन की उत्पादन लागत में कमी आएगी

हाइड्रोजन नीति पेश, कई रियायतें

18/02/2022

नई दिल्ली | एजेंसी

पहल

सरकार ने गुरुवार को बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय हाइड्रोजन नीति के पहले हिस्से को पेश किया। इसमें उत्पादकों को कई रियायतें दी गई हैं। बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने कहा कि इस नीति से कार्बन-मुक्त हरित हाइड्रोजन की उत्पादन लागत को कम करने में मदद मिलेगी।

नीति के तहत कंपनियों को स्वयं या अन्य इकाई के माध्यम से सौर या पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों के माध्यम से बिजली पैदा करने को लेकर क्षमता स्थापित करने की आजादी होगी। हरित हाइड्रोजन उत्पादकों के लिए अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन शुल्क से छूट मिलेगी। आवेदन देने के 15 दिन के भीतर हाइड्रोजन उत्पादकों को खुली पहुंच की अनुमति मिल जाएगी। मंत्री ने कहा कि नीति के तहत सरकार कंपनियों को वितरण कंपनियों के पास उत्पादित अतिरिक्त हरित हाइड्रोजन को 30 दिन तक रखने की अनुमति देगी। जरूरत पड़ने पर वे इसे वापस ले सकते हैं। यह छूट उन परियोजनाओं के लिए होगी जो 30 जून, 2025 से पहले लगाई जाएंगी।

सिंह के अनुसार, हरित हाइड्रोजन उत्पादकों व नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों को ग्रिड से कनेक्टिविटी प्राथमिक आधार पर दी जाएगी ताकि प्रक्रिया संबंधी कोई देरी न हो। हाइड्रोजन को वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग करने के लिए एक रोडमैप तैयार करने की खातिर केंद्रीय वित्त मंत्री ने 2021-22 के आम बजट में हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन की घोषणा की थी। इसके माध्यम से देश को स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में ले जाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया। हाइड्रोजन ऊर्जा एक स्वच्छ और हरित ऊर्जा के तौर पर देश का प्रदूषण घटाएगी। हाइड्रोजन संयंत्र, हरित ऊर्जा स्रोतों से चलेंगे। इससे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होगी। ये संयंत्र ग्रिड स्केल स्टोरेज समाधान उपलब्ध कराएंगे और अमोनिया उत्पादन के लिए फीडस्टॉक का काम करेंगे।